

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. District/Unit (जिला/इकाई): मेरठ

P.S. (थाना): मुंडाली

Year (वर्ष): 2025

FIR No.(प्र.सू.रि. सं.): 0167

Date & Time of FIR(प्र.सू.रि. की दिनांक/समय): 16/07/2025 14:08

2. S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	325
2	पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960	3
3	पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960	11(1)(a)
4	पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960	11 (1) (I)

3.(a) Occurrence of offence (अपराध की घटना) :

1. Day सोमवार
(दिन):

Date From 14/07/2025
(दिनांक से):

Date To 14/07/2025
(दिनांक तक):

Time Period
(समय अवधि):

Time From 14:00 बजे
(समय से):

Time To 16:00 बजे
(समय तक):



(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):

Date 16/07/2025 Time (समय): 14:01 बजे
(दिनांक):

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. 033 Date & Time 16/07/2025 14:01 बजे
(प्रविष्टि सं.): (दिनांक और समय):

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

Direction and distance from P.S. उत्तर - पश्चिम, Beat No.
1. (a) (थाना से दूरी और दिशा): 08 किमी (बीट सं.):
(b) Address ग्राम सिसौली
(पता):

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then
(यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S.

(थाना का नाम):

District(State)
(ज़िला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): सोनिया

(b) Father's Name (पिता का नाम):

श्री कृष्ण कुमार गौतम

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1995

(d) Nationality (राष्ट्रियता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)

S.No. (क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	1-157, सरयू एनिमल वेलफेयर सोसाइटी, गंगानगर मेरठ, गंगानगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	1-157, सरयू एनिमल वेलफेयर सोसाइटी, गंगानगर मेरठ, गंगानगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-9045360743

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):



S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	नरेश		पिता का नाम : रामपाल	1. ग्राम सिसौली, मुंडाली, मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))
-----------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------	----------------------------------

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु)

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No.	UIDB Number
-------	-------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल तहरीर हिन्दी वादिया..... सेवा मे थाना प्रभारी थाना मुण्डाली जनपद मेरठ
विषय: सिसौली गांव मे एक सामुदायिक पशु को मारने की घटना के संबध मे प्रार्थना पत्र
..... महोदय मै सोनिया गौतम गंगानगर निवासी सरयू एनिमल वेलफेयर सोसाइटी से हूँ।
चलाती हूँ महोदय मै आपको एक अत्यन्त गभीर घटना संज्ञान मै लाना चाहती हूँ महोदय
दिनांक 14 जूलाई 2025 समय 2 से 4 बजे की घटना एक व्यक्ति जिसका नाम नरेश s/o
रामपाल जो कि सिसौली गांव का रहने वाला है। महोदय नरेश ने एक कुत्ते को पटक पटक
कर मार डाला जिस कारण कुत्ते की मौके पर ही मौत हो गयी महोदय इससे पहले भी वह दो
कुत्तो को मार चुका है। महोदय इस घटना का विडीयो प्रसारण भी हमारे पास है। महोदय
भारतीय दंड संहिता (BNS) 2023 की धारा 325 के अनुसार किसी भी पशु को मारने,
जहर देने या अपंग करने या अनुपयोगी बनाने का कृत्य पांच वर्ष तक की कारावास,
जुर्माना दोनो दण्डनीय है। इसके अतिरिक्त यह कृत्य पशु निवारण अधिनियम 1960 की
धारा 3 और 11(1) का भी सपष्ट उलंघन है। 11(1) (I) के अनुसार किसी भी पशु को
जिसके सामुदायिक कुत्ते भी शामिल है। को मारना एक कानूनी अपराधी है। महोदय आपसे
निवेदन करती हूँ कृप्या तत्काल प्रभाव के पशु चिकित्सीय एवं विधिक प्रक्रिया आरभ करे।
पशु चिकित्सक द्वारा पोस्टमार्टम कराया जाये। अतः आपसे अनुरोध है कि इस मामले मे
निम्नलिखित धाराओ के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की जाये। भारतीय दंड संहिता (BNS)
2023 की धारा 325 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 3, 11(1)(a), 11(1)
(I) तथा अन्य प्राथमिकी धाराए जो जांच के अनुसार लागू हो। ह0 अंगेजी 16/7/2025

Name Sonia Gautam, ADD- I-157 Ganga Nagar Meerut Mob- 9045360743, Fathers- Shri Krishna kumar Gautam नोट मै का0क्लर्क 1718 बहादुर सिंह प्रमाणित करता हूँ कि तहरीर की नकल मेरे द्वारा बोल - बोल कर शब्द व शब्द सीसीटीएनएस कम्प्यूटर पर का0 2325 अमित कुमार से टाईप करायी गयी व रो0आम में कायमी मेरे द्वारा की गयी ।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है ।)

(1) Registered the case and took up the investigation: (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया.):

(2) Directed (Name of I.O.) sumit upadhyay (जांच अधिकारी का नाम):

Rank (पद):

SI (Sub-Inspector)

No.

(सं.):

to take up the Investigation

(को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (य

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S.

(थाना):

District

(ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी ।)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)



14 Signature/Thumb impression of the
complainant / informant.(शिकायतकर्ता /
सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15 Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge,
Police Station

(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name THANA PRABHARI

Rank I (Inspector)

No. 9454403989

